Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 3 ठिकानों पर छापे**
- **वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जुलाई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई एवं विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये **चौबेलाल मीणा** उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर के जयपुर शहर एवं करौली में स्थित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा **चौबेलाल मीणा** उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर के विरूद्ध शिकायत का सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्री ललित शर्मा विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर** के नेतृत्व में ब्यूरो की जयपुर तथा इन्टेलिजेंस यूनिट के सहयोग से विभिन्न टीमों का गठन किया जाकर आज अलसुबह उनके 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार **चौबेलाल मीणा** उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर एवं उनकी पत्नी द्वारा **अनेक** परिसम्पत्तियां अर्जित करने की सूचना है, जो उनकी **वैध आय से अधिक** है। आरोपी उप आयुक्त द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर में आवासीय/व्यावसायिक/ भूखण्डों फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है।

एसीबी महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावना है। आरोपी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।